न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील /07/2023

1—उदयसिंह पुत्र परभाती ।
2—अजबसिंह पुत्र परभाती । जाति जाट निवासी डहरा तहसील नदवई जिला
3—लज्जा देवी पुत्री परभाती। भरतपुर

.....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार भरतपुर

अपील नामान्तकरण संख्या 1702 दिनांक 28.12.2023 ग्रांम धौर तहसीलदार भरतपुर

———

उपस्थितः—
1—श्री गोबिन्द सिंह, डांगुर अभिभाषक अपीलान्ट,
2— पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांक 29.11.2024

अपीलान्ट ने यह अपील विरुद्ध रेस्पो0 वखिलाफ नामान्तकरण संख्या 1702 दिनांक 28.12.2023 ग्रांम धौर तहसील भरतपुर पेश की गई है। अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 1702 निहाल पुत्र मोहनलाल के हक में दर्ज किया जाकर दिनांक 28.12.2023 को तहसीलदार भरतपुर ने स्वीकार किया है। उक्त नामान्तकरण से व्यथित होकर अपीलान्टान ने यह अपील पेश की है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर, रेस्पो. की तलबी की गई। तहत पत्रावली तलब की गई। तहसीलदार भरतपुर के पत्र क्रमांक/एलआर/24/2026 दिनांक 22—04—2024 से नामान्तकरण की सत्यप्रतिलिपि प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली की गई। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में अंकित कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि अपीलान्टान की निस्फ हिस्से की खातेदारी कलमजन कर सम्पूर्ण हिस्से पर निहाल पुत्र मोहनलाल के नाम इन्द्राज कर दिये जव कि निहाल पुत्र मोहनलाल की मृत्यू काफी समय पूर्व हो चुकी थी इसलिये खोला गया नामान्तकरण नियमों के विपरीत है। विवादित आराजी की बाबत

.....2

न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर

जिला कलक्टर
भरतपुर

एस.डी.ओ. भरतपुर के निर्णय दिनांक 11.7.15 से निरफ हिस्सा पर अपीलांटान के नाम खातेदारी के इन्द्राज हुये थे मृतक निहाल सिंह के वारिसान के द्वारा न्यायालय एस.डी.ओ.भरतपुर के यहॉ रिव्यू पेश किया गया। जो खारिज हुआ जिसके खिलाफ राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी प्रस्तुत की गई। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में निर्णय हुआ जिसमें निणर्य एवं डिग्री दिनांक 11.7.2015 एव रिव्यू आदेश दिनांक 30.7.18 अपास्त कर दिये गये एवं प्रकरण एस.डी.ओ. भरतपुर को रिमान्ड किया गया। योग्य अभिभापक अपीलान्ट का तर्क है कि विधिअनुसार निहाल सिंह के वारिसान ने एक प्रार्थना पत्र धारा 144 जा.दी. पेश किया गया, जिसे निहालसिंह के वारिसान ने दिनांक 15.2.24 नोट प्रेस किया गया है। तहत न्यायालय को सीधे ही राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 8.11. 2021 के आधार नामान्तकरण नहीं खोला जाना चाहिये था। नियमानुसार जा.दी. की धारा 144 के तहत कार्यवाही किया जाना चाहिये था। अपीलाधीन आदेश की जानकारी हल्का पटवारी के पास दिनांक 13.2.24 को हुई। जानकारी दिनांक से अपील अन्दर म्याद है, देरी को माफ करने के लिये प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम पेश किया है। अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

पैरोकार सरकार का कहना है कि अपील म्याद वाहर पेश की गई है। अपीलाधीन नामान्तकरण न्यायालय की आज्ञा में खोला जाकर स्वीकार किया गया है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं की है। अपील खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया गया। अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 1702 दिनांक 28.12.2023 का अवलोकन किया गया। नामान्तकरण के कॉलम नम्वर 8 मे हो रहे इन्द्राज निहाल पुत्र मोहनलाल जाति जाट के अंकन से स्पष्ट है कि यह नामान्तकरण निहाल पुत्र मोहनलाल के हक में दर्ज किया जाकर स्वीकार किया गया है। यानि अपील में निहाल पुत्र मोहनलाल एक आवश्यक पक्षकार है जिसे अपील में पक्षकार नही वनाया गया है, निहाल पुत्र मोहनलाल को आवश्यक रुप से पक्षकार वनाया जाना चाहिये था। अपीलान्ट द्वारा अपील क्लीन हेन्ड से पेश नहीं की गई है। अपीलाधीन नामान्तकरण में अंकित नोट के अवलोकन से जाहिर है कि यह नामान्तकरण न्यायालय के आदेश की पालना में स्वीकार किया गया है। अस्तु अपील अपीलान्ट खारिज योग्य रहती है।

न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर (राज.)

जिला कलक्टर
भरतपुर

.....3

अपील /07/2023
उदयसिंह वगै. बनाम तहसीलदार भरतपुर

अतः आदेश है कि :-

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 29.11.2024 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर
भरतपुर